

जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा/एसएसए समस्त जिले।

विषय :- दिनांक 22.02.2018 को एसआईक्यूई कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित शिक्षक वी.सी.
स्थगन के क्रम में।

प्रसंग :- पत्र क्रमांक रामाशिप/जय/2017-18/1230 दिनांक 16.02.2018

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 22.02.2018 को कक्षा 1 से 5 को अंग्रेजी एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों हेतु आयोजित होने वाली वी.सी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिनांक 23.02.2018 को आयोजित की जायेगी एवं आगामी वीसी यथावत रहेगी। अतः तदनुसार शिक्षकों को सूचित करें।

www.rajteachers.com

(आभा बनीवाल)

उपायुक्त (द्वितीय),

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
6. निदेशक, एसआईईआरटी. उदयपुर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप. जयपुर।
8. उपायुक्त, रामाशिप. जयपुर
9. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिला।
10. उपनिदेशक, आईसीटी, रामाशिप. जयपुर को देकर लेख है कि सैटेलाइट प्रसारण के वैकल्पिक केन्द्रों को चालू करवाना सुनिश्चित करें।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप./रामाशिप. को भेजकर लेख है कि तदनुसार शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें।
12. यूनिसेफ, जयपुर।
13. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर
14. एसआईक्यूई नोडल प्रभारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. संस्था प्रधान समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय।
16. कॉम्प्यूकॉम प्रा.लि. एवं आई एण्ड एलएफ जयपुर
17. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कार्यवाही हेतु।
18. एमआईएस, प्रभारी रामाशिप. जयपुर।
19. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त (द्वितीय),

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।